

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 30 September 2026

क्रेडिट कार्ड से लेकर एलपीजी और पैन कार्ड तक... 1 जुलाई से बदल गए ये 7 नियम, जेब पर पड़ेगा सीधा असर ।

Publisher

Published on 01 Jul 2025



1 जुलाई 2025 से क्रेडिट कार्ड भुगतान, एलपीजी सिलेडर, रेलवे रिजर्वेशन, UPI चार्जबैक, GST रिटर्न और पैन कार्ड से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं ।

New Rules: आज से देशभर में 7 बड़े नियमों में बदलाव हो गया है, जो सीधे आपकी जेब, बैंकिंग, यात्रा और टैक्स रिटर्न से जुड़े हैं । अगर आप क्रेडिट कार्ड, ट्रेन टिकट, UPI, GST, LPG या नया PAN कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये बदलाव आपके लिए बेहद जरूरी हैं ।

जानिए 1 जुलाई 2025 से कौन-कौन से 7 बड़े बदलाव हुए हैं ?

१. क्रेडिट कार्ड पेमेंट में नया सिस्टम लागू

RBI के निर्देश पर अब क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट केवल भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के जरिए ही किया जाएगा । इससे PhonePe, Cred, Billdesk जैसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर असर पड़ेगा ।

२. PAN कार्ड बनवाने के लिए अब आधार अनिवार्य

अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है । पहले अन्य डॉक्यूमेंट जैसे बर्थ सर्टिफिकेट से भी बनता था, लेकिन अब सीबीडीटी ने आधार की वैरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है ।

३. कॉमर्शियल सिलेडर सस्ता हुआ

आज से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेडर के दाम घटा दिए गए हैं । दिल्ली में ₹58.5, मुंबई में ₹58, कोलकाता में ₹57 और

चेन्नई में ₹57.5 की कटौती की गई है ।

४. UPI चार्जबैक नियम में राहत

अब बैंकों को **UPI चार्जबैक क्लेम** को दोबारा प्रोसेस करने के लिए **NPCI** से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी । इससे यूजर्स को जल्दी समाधान मिल सकेगा ।

५. रेलवे रिजर्वेशन चार्ट अब 8 घंटे पहले

पहले ट्रेन चलने से **4 घंटे पहले चार्ट** तैयार होता था, लेकिन अब **1 जुलाई से 8 घंटे पहले तैयार** होगा । इससे **वेटलिस्ट पैसेजर्स** को पहले से स्थिति का पता चल जाएगा ।

६. GST रिटर्न में बड़ा बदलाव

अब **GST फॉर्म GSTR-3B को एडिट** नहीं किया जा सकेगा । साथ ही तीन साल से पुराने डेट का **GST रिटर्न फाइल** नहीं किया जा सकेगा ।

७. जेट फ्यूल महंगा हुआ

डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए **जेट फ्यूल की कीमतों में 7.55%** तक की बढ़ोतरी हुई है । दिल्ली में अब दर **₹89,344.05 प्रति किलोलीटर**, मुंबई में **₹5,946.5**, कोलकाता में **₹92,526.09** और चेन्नई में **₹6,602.49** प्रति किलोलीटर हो गई है ।

अगर आप यात्राएं करते हैं, **क्रेडिट कार्ड या GST** का इस्तेमाल करते हैं, तो इन 7 नियमों को नजरअंदाज न करें । ये बदलाव ना सिर्फ आपकी जेब पर असर डालेंगे बल्कि दैनिक जीवन की सुविधा को भी प्रभावित करेंगे ।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.